

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 2 जुलाई, 2013

विषय: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निम्नलिखित संस्थाओं/महाविद्यालयों द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक द्वारा अल्पसंख्यक संस्था होने का प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उन्हें अल्पसंख्यक संस्थाओं की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

क्र०	संस्था का नाम	भारत सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत पत्र में अंकित फाइल नम्बर	धर्म
1	एस०जे० महाविद्यालय, रमईपुर, कानपुर नगर	F.No. 2215 to 2216 OF 2012/261 दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के साथ संलग्न प्रमाण-पत्र दिनांक 13-12-2012	बौद्ध
2	माँ शीतला देवी त्रिजुगी नरायन महिला महाविद्यालय, ग्राम व पोस्ट-बरण्डा, अरौल, मकनपुर रोड, कानपुर नगर	F.No. 2429 OF 2012-426 दिनांक 09 फरवरी, 2013 साथ संलग्न प्रमाण-पत्र दिनांक 13 दिसम्बर, 2012	बौद्ध
3	श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, फतेहपुर 84 सफीपुर, उन्नाव	F.No. 2523 & 2819 OF 2012-1389 दिनांक 31 जनवरी, 2013 के साथ संलग्न प्रमाण-पत्र दिनांक 17 जनवरी, 2013	बौद्ध
4	श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, पुरवा, उन्नाव	F.No. 2523 & 2819 OF 2012-1389 दिनांक 31 जनवरी, 2013 के साथ संलग्न प्रमाण-पत्र दिनांक 17 जनवरी, 2013	बौद्ध

(2) इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) से आच्छादित पाठ्यक्रमों हेतु उपर्युक्त क्रमांक-1 से 4 में अंकित महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था "ट्रीट" किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(3) यह आदेश रिट याचिका संख्या-3265(एम/एस)/2013, एस०जे० महाविद्यालय, रानीपुर, कानपुर व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-05-2013 के समादर में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-1054(1)/सत्तर-6-2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
- 2- सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, गेट न०-4, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
- 3- प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 4- कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
- 5- क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।
- 6- प्रबन्धक, एस०जे० महाविद्यालय, रमईपुर, कानपुर नगर।
- 7- प्रबन्धक, माँ शीतला देवी त्रिजुगी नारायण महिला महाविद्यालय, ग्राम व पोस्ट-बरण्डा, अरौल, मकनपुर रोड, कानपुर नगर।
- 8- प्रबन्धक, श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, फतेहपुर 84 सफीपुर, उन्नाव।
- 9- प्रबन्धक, श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, पुरवा, उन्नाव
- 10- उच्च शिक्षा अनुभाग-3।
- 11- अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

गेट नं० ४, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, ५, संसद मार्ग
पटेल चौक, नई दिल्ली-११० ००३
Gate No. 4, 1st Floor, Jeevan Tara Building, 5, Sansad Marg
Patel Chowk, New Delhi - 110 003
www.ncmea.gov.in

C E R T I F I C A T E


Dated.....

THIS IS TO CERTIFY THAT BY THE ORDER DATED 17TH DAY OF JANUARY 2013 PASSED BY THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS, NEW DELHI IN CASE NO. 2523 OF 2012 (STJM MAHAVIDYALAYA, VPO PURWA, TEHSIL PURBAWAN, DISTRICT UNNAO, UTTAR PRADESH, AND ORS. VS. DEPUTY DIRECTOR, MINORITIES WELFARE DEPARTMENT, GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH), THE FOLLOWING INSTITUTIONS RUN BY SHRI THAKUR JI MAHARAJ MAHAVIDYALA SAMITI HAVE BEEN DECLARED AS MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS COVERED UNDER SECTION 2(g) OF THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 2004.

Sl No.	File No.	Name of the Institutions
1.	F. No. 2523 of 2012	STJM Mahavidyalaya, VPO Purwa, Tehsil Purbawan, District Unnao, Uttar Pradesh.
2.	F. No. 2819 of 2012	STJM Mahavidyalaya, VPO Fatehpur 84, Tehsil Safipur, District Unnao, Uttar Pradesh.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COMMISSION ON THIS 17TH DAY OF JANUARY, 2013.




(JUSTICE M.S.A. SIDDIQUI)
CHAIRMAN